ईरान-अमेरिका के बीच हुई बातचीत

मस्कट, 06 फरवरी. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि शुक्रवार को कई दौर की बैठकों के बाद अमेरिका के साथ बातचीत की अच्छी शुरुआत हुई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की प्रगति दोनों देशों की राजधानियों में होने वाली चर्चाओं पर निर्भर करेगी.

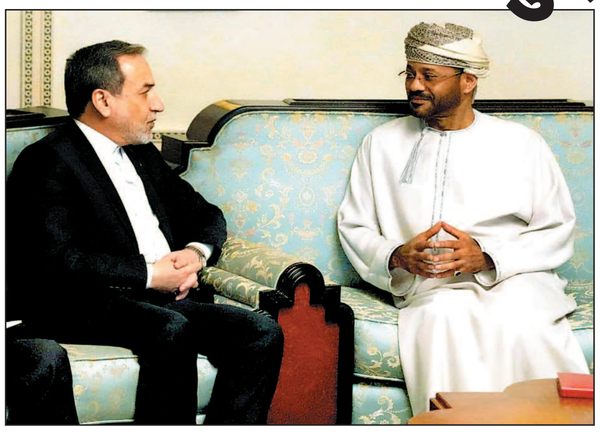

श्री अराघची ने बताया शुक्रवार कई दौर की बैठकें हुई। हमारे विचार और चिंताएं बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में साझा की गईं. कुल मिलाकर, यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन इसकी निरंतरता राजधानियों में होने वाले विचार-विमर्श पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा, अब हम ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ आठ अशांत महीनों के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई है. श्री अराघची के अनुसार, पिछले साल के संघर्ष के बाद व्याप्त अविश्वास एक बड़ी बाधा बना हुआ है. उन्होंने कहा, 12 दिनों के युद्ध के बाद जो अविश्वास पैदा हुआ, वह बातचीत के मार्ग में एक बड़ी चुनौती है. श्री अराघची ने जोर देकर कहा, हमें सबसे पहले इस अविश्वास को दूर करना होगा और बातचीत के लिए एक ढांचा तय करना होगा. यदि यह प्रक्रिया और दूसरी तरफ का दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है, तो हम बातचीत के एक निश्चित ढांचे तक पहुँच सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि आगे की बातचीत दोनों पक्षों की इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगी.

अमेरिका ने अपने लोगों को दिया ईरान छोड़ने का आदेश

वॉशिंगटन. अमेरिका ने ईरान में में रह रहे अपने नागरिकों को दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर चेतावनी जारी की है उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी है. ईरान में वर्चुअल यूएस एम्बेसी की ओर से जारी परामर्श में कहा कि अमेरिकी नागरिक ईरान से प्रस्थान की योजना बनाएं जो अमेरिकी सरकार की सहायता पर निर्भर न हो, क्योंकि सुरक्षा जोखिम, अशांति और यात्रा बाधित होने की आशंका बढ़ गई है. यह चेतावनी ओमान में शुक्रवार को अमेरिका-ईरान वार्ता से ठीक पहले जारी की गई है.

श्रमिकों की समृद्धि से ही होती है देश की प्रगति : डॉ. मांडविया

नई दिल्ली, 06 फरवरी. श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि श्रमिकों की समृद्धि से देश की प्रगति होती है इसलिए श्रमिकों का कल्याण, सम्मान और सुरक्षा राष्ट्रीय विकास के प्रति सरकार की दृष्टि का केंद्र बिंदु है.

डॉ. मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा कि ओडिशा के पुरी में भारतीय मजदूर संघ के 21वें त्रेवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. उनका कहना था कि श्रम राष्ट्र निर्माण का आधार है और श्रमिकों का सम्मान विकसित भारत की दिशा तय करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वे इस संकल्प को साकार करने में अपना सहयोग दे रहे हैं. उनका कहना था कि न केवल देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, बल्कि विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और इसने श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करने, देश के कार्यबल के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उन्हें राष्ट्रीय विकास और आर्थिक विकास में भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा मुझे श्रम शक्ति और युवा शक्ति के लिए काम करने का सौभाग्य मिला है. ये दोनों शक्तियाँ भारत की प्रगति की नींव हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने में

मध्य प्रदेश
लोक सेवा आयोग, इन्दौर

विज्ञप्ति क्रमांक 14815 /07/2021 / कम्प्यूटर दिनांक 02 /02/ 2026

:: विज्ञप्ति ::

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय में Consumable items के क्रय हेतु GeM पर Bid no. GEM / 2026 / B / 7180152 दिनांक Date 02-02-2026 को अपलोड की गई है। Bid की अंतिम तिथि दिनांक 16-02-2026 है।

G25418/25 कम्प्यूटर भण्डार प्रभारी

CENTRUM Home Loans

कॉर्पोरेट एवं नोंदणीकृत कार्यालय, यूनिट क्र.८०१, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कालीना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई ४०००९८.
CIN No. U65922MH2016PLC273826

शुद्धिपत्रक

कृपया कर्जदार UDRNM23011428–असगर हयात मेव, UDRNM23011307–नरेंद्र सरगाया, UDRNM24015100–लाल सिंह, UDRNM24016297–लाल सिंह शक्तावत, UDRMD24018611 –हरसिंह सोंधिया/ UDRMD24019404–पप्पूदास बेरागी, UDRMD25021982–विद्या बाई चमार (लेफ्टिनेंट मगीलाल चमार के कानूनी उत्तराधिकारी) के संदर्भ में इस समाचार पत्र में दिनांक ०५.०२.२०२६ को प्रकाशित मांग सूचना का संदर्भ लें। इस सूचना में प्रथम पैराग्राफ इस प्रकार पढ़ा जाये.
अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के अधीन सेंट्रम हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (१२) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ३ के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त अधिनियम की धारा १३(२) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार (रों) (उक्त कर्जदार) से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना (ओं) में वर्णित राशियां, जो यहां नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी।

सही/–
प्राधिकृत अधिकारी

ईडी का अरुणाचल में कई जगह छापा

ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग मुआवजा घोटाले का मामला

नई दिल्ली, 06 फरवरी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग मुआवजा घोटाले के सिलसिले में कई जगहों पर तलाशी अभियान चला रहा है.

यह मामला भूमि अधिग्रहण मुआवजे के मूल्यांकन, सर्टिफिकेशन और वितरण में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और निजी लाभार्थी शामिल हैं. आरोप है कि इन गड़बड़ियों से अपराध की कमाई हुई और उसका अवैध तरीके से धन शोधन किया गया. यह परियोजना 157.70 किलोमीटर के हिस्से को कवर करती है और इसे प्रशासनिक रूप से तीन सेक्टरों में बांटा था, जिसमें याचुली (0.00-43.635 किमी), जिरो (43.635-63.700 किमी) और रागा (63.700-149.440 किमी) शामिल हैं. जांच के दौरान पाया कि जिरो के तत्कालीन उपायुक्त ने शुरू में पूरे पोटिन-बोपी हिस्से के लिए 289.40 करोड़ रुपये का मुआवजा अनुमान तैयार किया था. हालांकि, राज्य-स्तरीय बैठक के दौरान मुआवजा पैकेज को रोक दिया गया और फिर उसे 198.56 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया.

इसके बावजूद वितरण प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर बड़ी मात्रा में राशि को बचत खातों में हस्तांतरित किया गया, और कई चेक फर्जी लाभार्थियों को जारी किये गये, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

जांच से पता चला है कि अधिकारियों ने जानबूझकर ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग (पोटिन-बोपी) परियोजना के याज़ाली सेक्टर में संरचनाओं के बढ़ा-चढ़ाकर और फर्जी मूल्यांकन तैयार करके और प्रमाणित किया तथा अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया. आरोप है कि उन्होंने गैर-मौजूद संरचनाओं और अयोग्य लाभार्थियों को इसमें शामिल करने में मदद की. मौजूदा जांच के हिस्से के रूप में, छह आवासीय परिसरों में तलाशी ली जा रही है, जिसमें तत्कालीन उपायुक्त, मूल्यांकन अधिकारियों और प्रमुख निजी लाभार्थियों तथा बिचौलियों के परिसर शामिल हैं. इसका उद्देश्य दस्तावेजी और डिजिटल सबूत हासिल करना और अपराध की कमाई से हासिल की गयी चल और अचल संपत्तियों की पहचान करना है. प्राप्त जानकारी के अनुसार छह परिसरों में से चार ईटानगर और उसके आसपास स्थित हैं,. वहीं, एक लिकाबली (डिब्रूगढ़ के पास) में, और एक आलो में (जो मेचुका-चीन सीमा के पास) शामिल है. तलाशी के स्थान पश्चिमी से पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, जिसमें सीमा से सटे क्षेत्र और दुर्गम पहाड़ी इलाके शामिल हैं, जिसमें दूरदराज और संवेदनशील स्थान भी शामिल हैं. तलाशी के दौरान, एक फर्जी लाभार्थी के ठिकाने से 2.2 करोड़ रुपये नकद बरामद किये गये हैं.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया।है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	107190557	संपत्ति के बदले ऋण	23.01.2026	4,89,191.95/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. फरहान खान 2. रूबीना बी 3. हामिद खा

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश राज्य-464651 के रायसेन जिले, तहसील दीवांगंज, ग्राम दीवांगंज में स्थित 1320 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली अचल संपत्ति (आवासीय भूखंड/मकान) का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसकी सीमाएँ सह-स्वामित्व विलेख के अनुसार इस प्रकार हैं: पूर्वः श्री नसीम खान का खुला भूखंड, पश्चिमः श्री निब्बू उर्फ नरवदा सेन का मकान, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः श्री सुमेर सिंह का खुला भूखंड

स. क्र.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	103118548	होम लोन	10.01.2026	5,88,155.16/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. शन्नो बी 2. अशरफ छोटेखान 3. छोटे खान

संपत्ति का पताः मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन तहसील और जिले के निनोद गांव के वार्ड संख्या 1 में स्थित, सर्वे संख्या 234, पी.एच. संख्या 01 के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्ति/आवासीय भूखंड/मकान संख्या 15, जिसका क्षेत्रफल 46x38 वर्ग फुट और 162.45 वर्ग मीटर है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में कैलाश का घर, पश्चिम में मस्जिद, उत्तर में सरकारी रास्ता, दक्षिण में प्रकाश की जमीन।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 07.02.2026
स्थान : मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिण्डी, चेन्नई-600032

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, और धारा 13 [2] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, उधारकताओं को, जिनके नाम नीचे कॉलम [बी] में दर्शाए गए हैं, कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, ताकि वे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम [डी] में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज सहित चुका सकें।

ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 4 फरवरी 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है। ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे कॉलम [ई] में उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि कॉलम [डी] में उल्लिखित है और उस पर ब्याज भी लगेगा।

स. क्र.	उधारकर्ता का नाम और पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता संख्या 1. EF01LJN0000064043 &TL01LJN0000063903 1. मेसर्स ऑटो मेंट सिस्टम्स 2. श्री नवीन व्यास और 3. श्रीमती योगिता व्यास	13.11.2025	रू. 4,36,42,042/- 13.11.2025 तक ब्याज सहित उस पर।	मद संख्या 1ः सर्वे संख्या 478/1 के भाग में स्थित, राऊ गांव, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) 453331 में विनियोजित भूमि पर निर्मित मकान का पूरा भाग, जिसका क्षेत्रफल 5684 वर्ग फुट है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः श्री मित्तल की भूमि, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः श्री संतोष मुकाती की भूमि। मद संख्या 2ः डायमंड हाइट्स, प्लॉट संख्या 302, सिलिकॉन सिटी, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) 452012 में स्थित फ्लैट संख्या 204, दूसरी मंजिल का पूरा भाग, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1365 वर्ग फुट (126.85 वर्ग मीटर) है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः फ्लैट संख्या 205, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः खुला स्थान, मार्ग और फिर फ्लैट संख्या 203। मद संख्या 3ः प्लॉट संख्या पी-72, सिल्वर स्टार सिटी प्रीमियम, ग्राम निहालपुर मंडी, तहसील राउ, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) का संपूर्ण भाग। कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (139.38 वर्ग मीटर) है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट सं. पी-83, उत्तरः प्लॉट सं. पी-73, दक्षिणः प्लॉट सं. पी-71।	04.02.2026

दिनांकः 07.02.2026
स्थानः लखनऊ

प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालयः ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोनः 70499 19126

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अतः ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो हेतु **केनरा बैंक, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1	खण्डवा शाखा 8595058017	मेसर्स साई स्टोन क्रशर, प्रोप्रायटर श्रीमती रिजवाना अंसार, श्रीमती रिजवाना अंसार पति मोहम्मद अंसार अहमद, मेसर्स सरकार बिल्डिंग मटेरियल्स, प्रोप्रायटर मोहम्मद अंसार अहमद, मोहम्मद अंसार अहमद पिता मोहम्मद निसार अहमद (ऋणी) एवं मोहम्मद अंसार अहमद पिता मोहम्मद निसार अहमद (जमानतदार)	सर्वे/खसरा नं. 15/2, पटवारी हल्का नं. 79, ग्राम नागचुम, ईस्ट निमाड़, खण्डवा (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 4000 वर्गमीटर वर्गफीट, उत्तर:** सर्वे/खसरा नं. 15/1, **दक्षिण:** सर्वे/खसरा नं. 17/1, **पूर्व:** सर्वे/खसरा नं. 13 एवं 14, **पश्चिम:** 20 फीट रोड उसके बाद सर्वे/खसरा नं. 16	**31,11,471.44** + दिनांक 21.11.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	27.11.2025 / 04.02.2026
2	नंदा नगर शाखा, इन्दौर 9425000374	मेसर्स श्री श्याम क्रिएशन एण्ड होम डेकोर, प्रोप्रायटर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पति अमन शर्मा, मेसर्स श्री श्याम कलेक्शन प्रोप्रायटर श्री अमन शर्मा, श्री अमन शर्मा पिता कमल देव शर्मा (ऋणी), श्री सुजित सिंह राठौड पिता विश्वनाथ सिंह (जमानतदार)	फ्लेट नं. 102, पहली मंजिल, अक्षत एवेन्यु, प्लाट नं. डी-1, श्रीजी वैली, बिचोली मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.) 452001, **क्षेत्रफल: 1070 वर्गफीट (सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल), उत्तर:** एमओएस उसके बाद प्लाट नं. डी-2, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 101, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** लोबी एवं फ्लेट नं. 103	**35,74,648.47** + दिनांक 18.11.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चे	01.12.2025 / 04.02.2026

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 07.02.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

आज का इतिहास

- 1792 - आस्ट्रेलिया एवं एशिया ने फ्रांस के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- 1831 - बेल्जियम में संविधान लागू।
- 1856 - नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शांतिपूर्ण विलय
- 1898 - रमाबाई अंबेडकर का जन्म, वह डॉ. भीमराव अंबेडकर की पत्नी थीं।
- 1904 - अमेरिका के बाल्टिमोर में जबरदस्त आग लगने से पन्द्रह सौ इमारतें जल कर खाक।
- 1915 - चलती ट्रेन से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ।
- 1940 - ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ।
- 1942 - यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- 1945 - ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
मन्दसौर शाखा: मकान नं. 164, गांधी मार्केट वार्ड- 13, यशोदाधाम मार्ग, झोन नं. 07, नूतन स्कूल के सामने, मन्दसौर-458001, मध्यप्रदेश
खंडवा शाखा: प्लॉट नं. -1, श्री नगर कॉलोनी, इन्दौर रोड, खंडवा-450001 (मध्यप्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 11000000364 / मंदसौर शाखा) राजीव कुमार पांचाल (ऋणी) सविता (सह-ऋणी)	06-11-2024 & ₹ 8,47,593/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, विवेकानंद नगर पश्चिम भाग प्लॉट नंबर 144 वार्ड नंबर 13 मनासा, नीमच, म. प्र. 458110 **चर्तुसीमाएँ:**- पूर्व - प्लॉट नंबर 144 का शेष भाग, पश्चिम - प्लॉट नंबर 143, उत्तर - प्लॉट नंबर 128, दक्षिण - सड़क	Rs. 13,41,600/-	Rs. 1,34,160/-	भौतिक
2.	(लोन कोड नं. 05500000190/ खण्डवा शाखा) कस्तूरी बाई बसोबे (ऋणी) बाबूलाल बसोबे (सह-ऋणी) सागर बसोबे (जमानतदार)	28-09-2025 एवं ₹ 10,94,290/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लॉट ईडब्ल्यूएस-14, तुलजा विहार पर स्थित, सिहाड़ा रोड खंडवा (म.प्र.), **चर्तुसीमाएँ:**- पूर्व: एलआईजी बी प्लॉट, पश्चिम: रोड, उत्तर: ईडब्ल्यूएस-13, दक्षिण: ईडब्ल्यूएस-15	Rs. 3,82,800/-	Rs. 38,280/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **13-03-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **2.** संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **14-03-2026 दोपहर : 3:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। **3.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। **4.** डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। **5.** नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। **6.** इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। **7.** अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। **8.** बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋ णदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। **9.** नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। **10.** यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 07.02.2026

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत के माध्यम से

OFFICE OF THE NAGAR PANCHAYAT ARJUNDA, DISTT- BALOD (C.G.)
NOTICE INVITING TENDER (1ST CALL)

Main Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

STSTEM TENDER NO.: 185170, NIT NO. 2011 — Dated 04/02/2026

Online tender are invited by the Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat, Arjunda for the following work in Form "F" for lump Sum contract from the contractors registered with Unified Registration System (Single Window) on GoCG PWD & e-Procurement System Portal (https://eproc.cgstate.gov.in) as per the 'key Dates' mentioned below. All other conditions for submission of tenders and criteria for prequalification etc. have been mentioned in the tender documents.

SYSTEM TENDER No.	NAME OF WORK	PROBABLE AMOUNT OF CONTRACT	BID DUE DATE
185170	Design, Construction, Testing, Commissioning of All The Components of Interception and Diversion Based Sewage Treatment Plant (STP) Work Including 05 Years of Operation and Maintenance of The Entire System in Nagar Panchayat, Arjunda under SBM 2.0	239.22 Lakh	Date: 26-02-2026 Time: 17:00

The tender documents containing detailed terms & conditions are available for free download on GoCG e-Procurement portal http://eproc.cgstate.gov.in through sub portal of Urban Administration & Development Department http://uad.cg.gov.in Bidders have to quote online their prices along with Technical and commercial bids in prescribed formats on the above mentioned portal only.

Chief Municipal Officer
Nagar Panchayat Arjunda

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट कार्यालयः 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051, **पंजीकृत कार्यालयः** कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ।

इसके द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(कों) और गारंटर(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियाँ ("प्रतिभूत आस्तियाँ"), जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित हैं, जिनका कब्जा SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे SMHFC कहा जाएगा) ("प्रतिभूत लेनदार") के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, **"जहाँ है जैसा है"**, **"जो है जैसा है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर बेची जाएँगी। नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर, नीचे उल्लिखित बकाया राशि और उस पर आगे के ब्याज और वसूली की तारीख तक के अन्य खर्चों की वसूली के लिए, SMHFC सुरक्षित लेनदार को नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से देय।

स. क्रं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम लैन	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्यः / बयाना राशि जमाः	ई-नीलामी की तिथि और समय	ईएमडी जमा करने की तिथि
1	लैन नं.- 619639211671579 1. पुष्पेन्द्र कुमार तिवारी 2. लवली तिवारी	प्लॉट संख्या 30, भूमि सर्वेक्षण संख्या 82/2/2, वार्ड संख्या 29 सहित पाकिस्तानी क्षेत्र, ग्राम मंडलवाड़ा रोड से अंदर, पीथमपुर तहसील, जिला धार, मध्य प्रदेश प्रशासन, 600 वर्ग फुट। अर्थात 55.742 वर्ग मीटर। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या 24, उत्तरः प्लॉट संख्या 31, दक्षिणः प्लॉट संख्या 29।	रु. 2,90,000/- / रु. 29,000/-	25.02.2026 सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक	24.02.2026

बिक्री के नियम और शर्तें नीचे दिए गए हैं और ये विवरण हमारी/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं: निम्नलिखित लिंक (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) इच्छुक बोलीदाता निम्नलिखित से भी संपर्क कर सकते हैं: विनय राठौर, ईमेलः vinay.rathour@grihashakti.com, मोबाइल नंबरः 9827121084, श्री निलॉय डे, मोबाइल नंबरः 8655619157, ईमेलः Niloy.Dey@grihashakti.com

स्थान : धार, मध्य प्रदेश
दिनांक : 06.02.2026

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

ADITYA BIRLA CAPITAL — LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS
ADITYA BIRLA CAPITAL LIMITED

रजिस्टर्ड ऑफिस: इंडियन रेयान कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266, **ब्रांच आफिस:** दूसरा माला, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया है और आप ही ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं. आपके द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. हम, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ने SARFAESI अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ धारा 13(13) के तहत आपके द्वारा दिए गए पते पर मांग नोटिस जारी किया है. उक्त नोटिस में यह कहा गया है कि आपने आपको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है इसलिए, SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के प्रावधानों के अनुसार नोटिस तामील करने के लिए यह प्रकाशन किया गया है.

लोन खाता संख्या/ खाता धारक(कों), सह-उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) का नाम और पता	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार देय राशि
लोन खाता संख्या - ABFLINDLAP0000126221 और ABINDLAP000000569247, 1. मेसर्स अजय ट्रेडर्स, अपने प्रोपराइटर के माध्यम से, 158, रानीपुरा मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 अन्य पता - 45-46 छोगलाल उस्ताद मार्ग, रानीपुरा, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 **2. संजय दुधानी, मकान नंबर 176, स्वामी दयानंद नगर, माणिक बाग रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001. अन्य पता** - 158, रानीपुरा मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 **3. अजय दुधानी, जिसे अजय कुमार दुधाने के नाम से भी जाना जाता है, 103 बी के सिंधी कॉलोनी, खाती वाला टैंक, इंदौर, मध्य प्रदेश-452014. अन्य पता** - 158, रानीपुरा मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 **4. मीना दुधानी, जिसे मीना रमेश दुधानी के नाम से भी जाना जाता है, मकान नंबर 176, स्वामी दयानंद नगर, माणिक बाग रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452014. अन्य पता** - 158, रानीपुरा मेन रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 (इसके बाद सामूहिक रूप से 'उधारकर्ता/ओं, गारंटर/ओं, बंधककर्ता/ओं' के रूप में संदर्भित)	27.01.2026 एनपीए तिथि - 13 जनवरी 2026	रु. 1,73,34,571.89/- (रु. एक करोड़ तिहत्तर लाख चौंतीस हज़ार पाँच सौ इकहत्तर और पैसा नवासी मात्र) 14.01.2026 तक

अधिसूचित की जाने वाली सुरक्षित संपत्तियों का विवरण - संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग जिसका क्रमांक है- नगरपालिका मकान क्रमांक 12 पुराना, नया क्रमांक 158 (पी) दक्षिणी भाग, जो रानीपुरा मेन रोड, इंदौर (म.प्र.) में स्थित है, जिसका कुल भूमि क्षेत्र 322.50 वर्ग फुट यानी 29.97 वर्ग मीटर है. इस संपत्ति में बेसमेंट, भूतल, प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल और तृतीय मंजिल हैं. मुख्य बेसमेंट का निर्मित क्षेत्रफल 150 वर्ग फुट (यानी 13.94 वर्ग मीटर) है, भूतल का निर्मित क्षेत्रफल 322.50 वर्ग फुट (यानी 29.97 वर्ग मीटर) है, प्रथम मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल 322.50 वर्ग फुट (यानी 29.97 वर्ग मीटर) है, द्वितीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल 322.50 वर्ग फुट (यानी 29.97 वर्ग मीटर) है, और तृतीय मंजिल का निर्मित क्षेत्रफल 322.50 वर्ग फुट (यानी 29.97 वर्ग मीटर) है, जिसका स्वामित्व मीना दुधानी, अजय कुमार दुधानी और संजय दुधानी के पास है, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं- पूर्व- पूर्व में सरकार का मुख्यालय, उत्तर की ओर जाने वाली सड़क, नगर पालिका संख्या 158 का शेष भाग, पश्चिम की ओर- सरकारी गली, दक्षिण की ओर- सरकारी गली और फिर सीताराम भुंजवे का घर.

आपको इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** को ब्याज और लागत सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार की सभी या किसी एक या अधिक गिरवी संपत्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेगी, जिसमें उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार की गिरवी संपत्तियों पर कब्जा करना भी शामिल है. उक्त अधिनियम के अंतर्गत **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** को प्राप्त शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं- (1) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार की गिरवी संपत्तियों पर कब्ज़ा करने की शक्ति, जिसमें गिरवी संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पट्टे, आवंटन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार भी शामिल है; (2) गिरवी संपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने की शक्ति, जिसमें पट्टे, आवंटन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण का अधिकार भी शामिल है, और गिरवी संपत्तियों को वसूल करना. **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** द्वारा गिरवी संपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, हस्तांतरित गिरवी संपत्तियों के सभी अधिकारों और संबंधों में इस प्रकार निहित होगा मानो हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया हो. उक्त अधिनियम की धारा 13/13 के प्रावधानों के अनुसार, आपको **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से (अपने व्यवसाय के सामान्य संचालन के अलावा) **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** को गिरवी रखी गई किसी भी गिरवी संपत्ति का हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया जाता है.

दिनांकः 07/02/2026, स्थानः एमपी — अधिकृत अधिकारी, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड